न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या – 39/2025

उनवान

वीर तेजाजी नोबल्स एकेडमी रामसर जरिये प्रधानाचार्य अचलाराम धोला   बनाम   तहसीलदार रामसर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0भू0राज0 अधिनियम

दिनांक 13.02.2025

आदेश

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की खातेदारी खेत खसरा संख्या 468/297 रकबा 0.4856, हेक्टैयर मौजा सिंगरपालो की ढाणी पटवार मण्डल रामसर में आये हुआ है प्रार्थी संस्था द्वारा मूल उक्त खेत खसरा संख्या 468/297 रकबा 0.4856 हेक्टयर में उक्त भूमि को संस्थागत सरिपवर्तन दिनांक 05.12.2024 को करवाया एवं उक्त संपरिपर्तन आदेश का पंजीयन उपपंजीयक रामसर के यहा पर 06.12.2024 को करवाया गया। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदी खेत का संपरिवर्तन संस्थागत परियोजनार्थ करवाने के पश्चात भी ऑनलाइन में भूमि कि किस्म बारानी सोयम ही दर्शा रहा है जिसे दुरस्त कर किस्म परिवर्तन कर एज्यूकेशनल संपरिवर्तन संस्थागत संपररिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 16.01.2025 को प्रस्तुत किया गया।

पत्रावली को अंवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं समस्त दस्तावेजों के अध्ययन के आधार पर खसरा संख्या 468/297 रकबा 0.4856, हेक्टैयर मौजा सिंगरपालो की ढाणी पटवार मण्डल रामसर में किस्म बा.सो. के स्थान पर संपरिवर्तन आदेश LC/2024-25/196702 दिनांक 05.12.2024 में वर्णित किस्म INSTITUTIONAL PURPOSE & MEDICAL FACILITES (संस्थागत सपरिर्तन शैक्षणिक प्रयोजनार्थ) दुरस्त करनें के आदेश पारित किये जाते हैं। तहसीलदार रामसर को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 13.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, रामसर
दिनांक 13.02.2025

क्रमांक : रीडर/2025/ 103-104

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार रामसर।
2. प्रार्थी वीर तेजाजी नोबल्स एकेडमी रामसर जरिये प्रधानाचार्य अचलाराम धोला।

उपखण्ड अधिकारी रामसर

उपखण्ड अधिकारी
रामसर 13/2/25